हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड

(हरियाणा सरकार का उपक्रम)

HFDC

ई–निविदा दस्तावेज

ई–निविदा संख्या 03/2018–19

कार्य का नामः बारबड़ वायर बनाना ईत्यादि कार्य के लिए ।

हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड
कार्यालयः महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम कुरूक्षेत्र
दूरभाशः 01744–230364
ई.मेलः gm.kurukshetra@hfdc.gov.in वेबसाईटः www.hfdc.gov.in

निविदा केता का नामः...

विषय सूची

कम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	निविदा आमंत्रण सूचना	03
2	तकनीकी निविदा फार्म	04—05
3	वित्तीय वोली	06
4	हल्फनामा	07
5	वचनपत्र	08
6	अनुबन्ध पत्र	09
7	निविदा सम्बन्धी सामान्य नियम एवं शर्ते	10—11
8	अनुबन्ध सम्बन्धी विशेष नियम एवं शर्ते	12—[illegible]

प्रैस विज्ञप्ति

हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड

(हरियाणा सरकार का उपकम)
कार्यालयः महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम कुरूक्षेत्र
दूरभाष /फैक्स न0 01744-230364 ई.मेलः gm.kurukshetra@hfdc.gov.in
वेबसाईट www.hfdc.gov.in

निविदा संख्या 03/2018-19

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम, कुरूक्षेत्र द्वारा हरियाणा में पंजीकृत सहकारी समितियों एवं अनुभव प्राप्त ठेकेदारों से जी.आई.वायर से बारबड़ वायर बनाने आदि कार्यो के लिए वर्ष 2018-19 के लिए (दिंनाक 31.03.2019 तक करवाये जाने वाले कार्यो के लिए) दर अनुबन्द करने के लिए online निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं । लगभग 40,000 किलोग्राम जी.आई.वायर से बारबड़ वायर तैयार करवाई जानी हैं । यह कार्य दिंनाक 31.03.2019 तक इस यूनिट की फैक्टरी नजदीक-ब्रहम सरोवर, कुरूक्षेत्र में करवाया जाना हैं । बारबड़ वायर बनाने की मात्रा कम/अधिक हो सकती हैं । इस कार्य पर अनुमानित खर्च 2.00 लाख रुपये होगा । अनुमानित खर्च की राशि करवाये जाने वाले कार्य अनुसार कम/अधिक हो सकती हैं । यह निविदा दिनांक 19.03.2018 से 02.04.2018 बाद दोपहर 2.30 बजे तक online आमन्त्रित की जाती है । तकनीकी बोली दिंनाक 03.04.2017 को दोपहर पहले 11.30 बजे व वित्तीय बोली बाद दोपहर 3.00 बजे खोली जायेगी । इस कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज/जानकारी इस निगम की वेबसाईटः www.hfdc.gov.in & https://haryanaeprocurement.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं । इस कार्य की निविदा के लिए फार्म फीस ₹500/- (पांच सो रुपये) व ई-टैण्ड्रिंग की फीस ₹1000/- (एक हजार रुपये) तथा अनुमानित कार्य की राशि का 2 प्रतिशत ₹2000/- (दो हजार केवल) बतौर ब्याना राशि अलग से e-procurement portal https://haryanaeprocurement.gov.in पर जमा करवानी होगी ।

महाप्रबन्धक
हरियाणा वन विकास निगम
कुरूक्षेत्र ।

HARYANA FOREST DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (Haryana Govt. Undertaking) Office of : GENERAL MANAGER, HARYANA FOREST DEVELOPMENT CORPORATION LTD. KURUKSHETRA.	
NATURE OF WORK: MANUFACTURING OF BARBED WIRE FROM G.I.WIRE, BUNDLING, MEASUREMENT ETC. COMPLETE IN ALL RESPECT.	
TECHNICAL BID	
1. NAME AND FULL ADDRESS OF THE AGENCY/FIRM WITH MOBILE NO. AND E-MAIL ADDRESS	
2. NAME OF THE PROPRIETOR/PARTNERS OF THE AGENCY/FIRM.	
3. LEGAL STATUS OF AGENCY/ FIRM. A) PAN NUMBER B) GST NUMBER. C) EPF NO. D) ESI NO.	
4. HAVE YOU DEPOSITED EMD, FORM FEE, E-TENDER SERVICE FEES ETC? IF YES, GIVE FULL DETAIL OF DEPOSITED AMOUNT.	
5. HAVE YOU ATTACHED ALL RELEVANT DOCUMENTS RELATED TO TENDER ? IF YES, GIVE LIST OF ALL DOCUMENTS SEPARATELY. * AFFIDAVIT ON STAMP PAPER ATTESTED BY THE NOTARY PUBLIC CERTIFYING CLEARLY THAT THE INFORMATION GIVEN BY THE AGENCY/ FIRM ARE TRUE AND CORRECT AND ALSO ACCEPT THE ALL TERMS & CONDITIONS GIVEN IN THE TENDER. (DRAFT AS PER DNIT PDF FILE) * UNDERTAKING ON THE LETTER HEAD BY THE AGENCY/ FIRM TO KEEP THE FINANCIAL BID VALID FOR THE STIPULATED DECIDED TIME PERIOD TILL THE COMPLETION OF THE WORK. (DRAFT AS PER DNIT PDF FILE)	
6. DETAILS OF BANK OF AGENCY/ FIRM. A) NAME OF BANK B) BANK BRANCH WITH FULL ADDRESS C) TYPE OF ACCOUNT D) ACCOUNT No. E) IFSC CODE F) BANK ACCOUNT STATEMENT FOR THE LAST SIX MONTHS	

7. WORK EXPERIENCE (EXPERIENCE OF WORK WITH HARYANA FOREST DEPARTMENT/ HARYANA FOREST DEVELOPMENT CORPORATION.)	
8. SIGNED COPY OF TERMS & CONDITIONS PAGES.	
9. WHETHER THE APPLICANT AGENCY/ FIRM HAS TO LEAVE/POSTPONE ANY WORK AFTER TAKING INTO HANDS/IT'S INITIATION WITHIN SIX MONTH OF ALLOTMENT OF TENDER AND WORK. IF YES, GIVE DETAILED REASONS OF LEAVING/POSTPONEMENT OF WORK WITH THE NAME OF THAT PROJECT AND WORK.	
10. WHETHER THE APPLICANT AGENCY/ FIRM HAS LEFT ANY WORK BEFORE IT'S COMPLETION. IF YES, GIVE FULL DETAILS WITH BASIC REASONS FOR WHICH THE WORK HAD BEEN LEFT.	
11. WHETHER APPLICANT AGENCY/ FIRM HAS BEEN BLACK LISTED AFTER APPLYING FOR WORK OR AFTER ALLOTMENT OF WORK IN ANY GOVT. ORGANISATION AT ANY POINT OF TIME. IF YES, GIVE FULL DETAILS WITH REASONS.	
12. WHETHER APPLICANT AGENCY/ FIRM HAS BEEN CONVICTED BY THE HON'BLE COURT AT ANY POINT OF TIME. IF YES, GIVE FULL DETAILS .	
13. IF ANY OTHER INFORMATIONS, WHICH IS IMPORTANTENT/ NECESSARY AS PER YOUR OPINION, GIVE DETAILS.	

SIGNATURE OF THE BIDDER

Haryana Forest Development Corporation Limited

(Haryana Govt. Undertaking)
Office:General Manager, Haryana Forest Development Corporation Ltd.Kurukshetra
Tel./Fax No. 01744-230364 E-mail: gm.kurukshetra@hfdc.gov.in Website: www.hfdc.gov.in

Tender No. 03/2018-19

Financial Bid

NATURE OF WORK: MANUFACTURING OF BARBED WIRE FROM G.I.WIRE, BUNDLING, MEASUREMENT ETC. COMPLETE IN ALL RESPECT.

S.N.	Name & Particular of Work	Unit	Rate per Kg. in figure and words (in Rs.)	Remarks
1	MANUFACTURING OF BARBED WIRE FROM G.I.WIRE,BUNDLING, MEASUREMENT ETC. COMPLETE IN ALL RESPECT.	Kg.		

Signature of the bidder

हल्फनामा

1. मै, अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करता हूँ इस निविदा मे मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य और सही है।
2. मै, अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करता हूँ मुझे/मेरी फर्म मैसर्ज.....................................को पिछले पाँच वर्षो के दौरान ना ही तो सरकारी संगठनो ने मेरे कार्य को रद्ध किया और ना ही मेरे/मेरी फर्म द्वारा निविदा जमा करवाने तक कोई कार्य बीच मे छोडा गया है।
3. मै/हम प्रमाणित करते है कि निविदा दस्तावेजों मे दिये गये निर्धारित सभी नियमो/शर्तो को बिना किसी शर्त के स्वीकार करता हूँ/करते है ।

फर्म के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

शीर्षक...

फर्म का नाम..

दिनांक..

वचनपत्र

मै/हमारी फर्म मैसर्ज... इस निविदा को जमा करवाने से दिनांक 31.03.2019 तक वैध रखने के लिए वचनबद्व हूँ और इस बोली को दिनांक 31.03.2019 की अवधि तक स्वीकार करता हूँ।

फर्म के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पद..

फर्म का नाम..

दिनांक..................................

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध दिनांक................................2018 को हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड के महाप्रबन्धक...................................... व .... (सफल संविदाकार का नाम) के मध्य कार्यान्वित किया गया है।

हरियाणा वन विकास निगम लि. द्वारा ....(कार्य का नाम) की पूर्ति के लिए निविदाएं आंमात्रित की गई थी।.................................. सफल निविदाकर्ता की निविदा को मूल्यांकन व दर के आधार पर निगम द्वारा स्वीकार कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नप्रकार से है:-

कार्य का नाम...

स्वीकृत दर...

दिनांक.......................... के वचन पत्र के अनुसार निविदाकर्ता निविदा सम्बन्धी सभी निर्दशों व शर्तो को बिना किसी शर्त के स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है और समय-समय पर कार्य से सम्बन्धित अन्य शर्तो को भी मानने के लिए तैयार है।

निविदाकार द्वारा अपने पत्र कमांक...............................दिनांक............................ द्वारा सूचित किया गया है कि निगम के पत्र कमांक.................................दिनांक................. के कार्य के प्रस्ताव को निविदा की निर्दशों व शर्तो के अनुसार पूर्ण करने के लिये तैयार है।

<u>इस अनुबन्ध के अन्य विवरण इस प्रकार से है:-</u>

1. **इस अनुबन्ध में कार्य से सम्बन्धित आशयों का मतलब वही होगा जो निर्देशों व शर्तो मे दर्शाया गया है।**
2. **निगम के निर्देशो व शर्तो के अनुसार किये गये कार्यो की अदायगी के लिए निविदाकर्ता निगम से मांग करेगा।**
3. **निगम किये गए कार्य को संतोषजनक पूर्ण पाकर बिलो की अदायगी करेगा।**
4. **यदि कार्य पूर्ण नहीं करेगा तो वह किसी भी प्रकार की राशि लेना का कानूनी हकदार नहीं होगा ।**

निगम के अधिकृत हस्ताक्षरी

गवाह

1.

2.

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

गवाह

1.

2.

भाग–I : निविदा सम्बन्धी सामान्य नियम एवं शर्ते

- निविदा दस्तावेज निगम की वेबसाईट: www.hfdc.gov.in & https://haryanaeprocurement.gov.in से निर्धारित तिथियों के मध्य डाउनलोड किये जा सकते है । परन्तु आवेदक को निर्धारित शुल्क e-procurement portal https://haryanaeprocurement.gov.in के माध्यम् से जमा करवानी होगी ।
- वित्तीय बोली में सविंदाकारों द्धारा जो दर भरे जायेगें उसमे सभी प्रकार के खर्च (ई.पी.एफ.,ई.एस.आई.,सर्विस टैक्स,सुरक्षा उपकरण,औजार ईत्यादि) जो कि लेबर को दिये जाने बनते हैं शामिल करने होगे अलग से किसी प्रकार का खर्च इस निगम द्धारा अदा नहीं किया जायेगा । इसके अतिरिक्त अन्य कोई कर ईत्यादि समय–2 पर भारत सरकार/ हरियाणा सरकार द्धारा लगाया जायेगा, वह सफल बोलीदाता को वहन करना होगा ।
- सफल बोलीदाता/कार्य करवाने वाले सविंदाकार को लेबर की सूचि (कार्य करने वाले का पूरा पता सहित्) निगम को देनी होगी जिसमें यह स्पष्ट होगा कि उस द्धारा प्रत्येक लेबर को चैक/आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम् से कितनी–2 राशि अदा की गई हैं, बैंक खाता सहित् पूर्ण विवरण देना होगा ।
- निविदा सम्बन्धी सभी प्रकार के शुद्धि पत्र या सूचना हरियाणा वन विकास निगम की बेबसाईट पर प्रकाशित किये जायेगें ।
- निविदा खुलने की तिथि के दिन सरकारी अवकाश होने की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस पर खोली जायेगी ।
- इस निविदा सम्बन्धी लिखित सभी शर्ते आवेदक को हरियाणा वन विकास निगम की माननी होगी। आवेदक की शर्तो पर विचार नही किया जायेगा।
- यह निविदा वर्ष 2018–19 के लिए रेट अनुबन्ध करने के लिए सबसे कम रेट वाली फर्म/संस्था वाली फर्मो के साथ अनुबन्ध किया जाएगा ।
- सभी निविदाकारों को निविदा दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की सलाह दी जाती हैं। यह माना जाता है कि निविदाकारों द्वारा निविदा भरने से पूर्व निविदा सम्बन्धित सभी विवरण ध्यानपूर्वक पढ़ लिए गये है।
- निविदाकर्ता आवेदन करते समय निविदा दस्तावेज शुल्क, ब्याना राशि, तकनीकी निविदा (पूर्ण दस्तावेज) और वित्तीय निविदा/बोली सम्बन्धी सभी दस्तावेज निर्धारित प्रारुप मे भरेगा।
- निर्धारित निविदा फार्म के अलावा अन्य फार्म पर भरी गई निविदा रद्ध कर दी जायेगी ।
- असफल आवेदक की ब्याना राशि वापिस लौटा दी जायेगी ।
- पूर्ण निविदा दस्तावेज आव यक स्थानों पर भरा हुआ और सभी पृष्ठो पर संख्या सहित व हस्ताक्षर किया हुआ हो।

  1. फर्म के पंजीकरण की प्रति ।
  2. पैन कार्ड की प्रति ।
  3. कार्य का अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र ।
  4. स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र जो कि पब्लिक नोटरी द्वारा प्रमाणित हो जिस पर यह लिखा हो कि जो सूचना निविदाकार/बोलीदाता द्वारा दी गई है, वह सही है तथा वह निविदा मे अंकित नियम व शर्तो को बिना किसी शर्त के स्वीकार करता है। (प्रारूप संलग्न)
  5. फर्म/एजैन्सी के लेटर हैड पर बोली को निर्धारित समय तक वैध रखने बारे वचन पत्र । (प्रारूप संलग्न)
  6. संविदाकार द्वारा जमा करवाई गई राशि की रसीद की प्रति ।

  उपरोक्त वर्णित आवश्यक दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कमी होने पर निविदाकार की बोली अस्वीकार कर दी जायेगी। किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज को बोली/निविदा खोलने के समय या उसके बाद जमा करवाने बारे कोई भी अनुरोध स्वीकार नही किया जायेगा। निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी प्रमाण पत्रों व पुष्टिकारक दस्तावेजों की प्रतियां भी निविदा खोलने से पूर्व समय पर भरेगें ।
- उन निविदाकारों जिनकी तकनीकी निविदा/बोली योग्य/उपयुक्त पाई जाती है तो वित्तीय निविदाएं/बोली उन्ही की ही खोली जायेगी। अधूरी निविदाएं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
- वित्तीय निविदाएं की गणितीय त्रुटियों के लिए निविदा समिति के सदस्यों द्वारा जांच की जायेगी। गणितीय त्रुटियों को निविदा समिति के सदस्यो द्वारा निम्नप्रकार से ठीक किया जायेगा । आंकडो व शब्दो की दरो में अन्तर पाये जाने पर, शब्दों मे लिखी दर को माना जायेगा ।
- निविदा दस्तावेजों पर हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। बिना हस्ताक्षर के भरी गई निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- निविदाएं निविदाकारों/बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति मे निविदा आमंत्रण सूचना मे दर्शाई गई तिथि व समय पर खोली जायेगी ।

- निविदा के मूल्यांकन, स्पष्टीकरण, तुलना व सिफारिश सम्बन्धी जानकारी निविदाकारों को सफल निविदाकार की घोषणा तक अधिकारिक तौर पर प्रकट नही की जायेगी। निविदा के सम्बन्ध मे निविदा समिति के फैसले को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने वाले निविदाकार की निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।
- चयनित ठेकेदार आफर स्वीकृति के दिनांक से 7 दिन की अवधि में महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम, कुरुक्षेत्र के साथ अनुबन्ध करेगा । 7 दिन में अनुबन्ध नहीं करने पर ठेकेदार की पूर्व जमा अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। यदि ठेकेदार चाहे तो वह लिखित आवेदन कर उक्त जमानत राशि भविष्य में उक्त कार्य के करने पर बनने वाले रनिंग बिल से भी कटवा सकता है। चयनित व्यक्ति द्वारा अनुबन्ध नहीं करने की स्थिति में ठेकेदार का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा तथा उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। अन्य ठेकेदार/विभाग द्वारा कार्य पूर्ण कराने पर कार्य पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की राशि अनुबन्ध नहीं करने वाले ठेकेदार से वसूल की जाएगी।
- कार्य की मात्रा व गुणवता निगम के कर्मचारी/अधिकारी द्वारा पूर्ण व संतोषजनक सत्यापित होने पर जमा किए गए बिलों की अदायगी की जा सकेगी।
- निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण नही करने पर उसकी ब्याना राशि जब्त कर ली जायेगी।
- निर्धारित कार्य पूर्ण करने व अन्तिम बिल की अदायगी होने के एक महीने के अन्दर जमानत व अमानत राशि भी वापिस कर दी जायेगी ।
- बोलीदाता की बोली/निविदा की वैधता जमा करवाने की आखिरी तिथि से दिनांक 31.03.2019 तक होगी। दिनांक 31.03.2019 तक की अवधि से कम वैधता वाली बोली को निगम द्वारा अस्वीकार कर दिया जायेगा। निविदाकर्ता को इस बारे अपने कम्पनी/फर्म के लेटर हैड पर वचन पत्र (अंडर टेकिंग) देना होगा।
- असाधारण परिस्थितियो में मूल समय सीमा की समाप्ति से पूर्व, निगम निविदाकर्ताओ को निविदा/बोली वैधता की अवधि को बढाने के लिये अनुरोध कर सकता है। ऐसा अनुरोध और निविदाकर्ताओ के जवाब लिखित मे या मेल द्वारा सूचित किया जायेगा। निविदाकर्ता बिना ब्याना राशि जब्त करवाये ऐसे अनुरोध को मना कर सकता है। ऐसा अनुरोध को स्वीकार करने वाले निविदाकर्ताओं को अपनी बोली/निविदा (तकनीकी/वित्तीय) को संशोधित करने की अनुमति नही दी जायेगी। परन्तु वांछित समय तक बोली वैधता बढानी होगी।
- सफल बोलीदाता को हरियाणा वन विकास निगम के सम्बन्धित महाप्रबन्धक के साथ समय पर कार्य का निश्पादन करने के लिए समझौता का अनुबन्ध निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) पर करना होगा।
- ऐसे निविदाकर्ताओ जिसकी बोली/निविदाएं योग्य नही पाई जाती उनकी ब्याना राशि वापिस लौटा दी जायेगी।
- ठेकेदार, जिसका नजदीकी सम्बन्धी वन विभाग या इससे सम्न्धित बोर्ड या कार्पोरेशन में कार्यरत होगा वह कार्य के लिए निविदा देने का पात्र नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा इस शर्त का उल्लघन करने पर विभाग के ठेकेदार अनुमोदित सूचि से उसका नाम हटा दिया जाएगा।
- राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में दी गई शर्ते अनुबन्धकर्ता ठेकेदार को मान्य होगी।
- पीस रेट कान्ट्रैक्ट प्रणाली से कार्य कराते समय ठेकेदार को समय-समय पर जारी एवं प्रचलित अधिनियम (CONTRACT LABOUR (REGULATION & ABOLIATION) ACT, 1970; MINIMUM WAGES ACT; PAYMENT WAGES ACT; BONUS ACT; GRATUITY ACT; E.S.I ACT etc.) नियमों एवं सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी। किसी नियमों, अधिनियमों एवं दिशा निर्देश की उल्लघना होने की परिस्थिति में यदि कोई राशि अथवा मुआवजा श्रमिकों को देने की स्थिति आती है तो यह राशि अथवा मुआवजा ठेकेदार से वसूल किया जाएगा।
- सक्षम अधिकारी किसी भी या सभी निविदा/बोलियों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- इस निविदा सम्बन्धी कोई भी विवाद होने पर मामला सम्बन्धित मुख्य महाप्रबन्धक के पास रखा जायेगा। फिर भी विवाद न सुलझने की स्थिति में मामला प्रधान मुख्य वन संरक्षक- कम-प्रबन्ध निदे ाक, हरियाणा वन विकास निगम, पंचकूला के पास भेजा जायेगा, जिनका फैसला सभी को मान्य होगा।
- इस निविदा सम्बन्धी विवाद होने पर मामला **कुरुक्षेत्र** न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आयेगा।

....

भाग–II : अनुबन्ध सम्बन्धी विशेष नियम एवं शर्ते

1. बारबड़ वायर बानाने से सम्बन्धित अन्य शर्ते वर्क आर्डर जारी करते समय या कार्य करने के दौरान भी विशेष रुप से मौखिक व लिखित रुप मे संविदाकार को सूचित की जा सकती है। जिनकी वह मौके पर कार्य करते समय पालना करेगा।
2. प्रत्येक संविदाकार को Technical Bid निर्धाति प्रपत्र पर भरकर देनी होगी । यदि किसी संविदाकार की Technical Bid अधूरी पाई गई तो, उसकी Financial Bid पर विचार नहीं किया जायेगा ।
3. सविंदाकार द्धारा बारबड़ वायर बनाने का कार्य निगम के फील्ड कर्मचारी द्धारा बताये गये दिशा–निर्देशो के अनुसार करवाना होगा । यह सभी कार्य निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों की देख–रेख में करवाये जाएर्गे ।
4. सविंदाकार द्धारा नर्सरी बारबड़ वायर बनाने का कार्य दी गई समयावधि के दौरान करवाना होगा जो कि निगम के प्रबन्धक/कर्मचारी द्धारा बताई जायेगी । बारबड़ वायर बनाते समय किसी प्रकार के रॉ मैटिरियल की अनावश्यक बर्बादी की जाती है तो इसकी हानि की वसूली कार्य करवाने वाले सविंदाकार से की जायेगी ।
5. बारबड़ वायर बनाने का कार्य कुशल कारगीरों द्धारा ही करवाया जायेगा । यह कार्य तभी पूर्ण रुप से सही माने जायेगा जब करवाये गये कार्य पर निगम से सम्बन्धित ईन्चार्ज/प्रबन्धक अपना प्रमाण–पत्र देगे कि करवाया गया कार्य सही हैं ।
6. सविंदाकार द्धारा बारबड़ वायर बनाने के कार्य के बिलों पर निगम के सम्बन्धित कर्मचारी व प्रबन्धक से बिल पर प्रमाण–पत्र लेना होगा तभी सम्बन्धित बिल की अदायगी सविंदाकार को आर. टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी./चैक के माध्यम् से ही की जायेगी ।
7. सविंदाकार द्धारा बनाये गये बारबड़ वायर में सप्लाई करने उपंरात भी किसी प्रकार की कमी ईत्यादि पाई गई तो इसकी भरपाई सविंदाकार से की ज़ायेगी ।
8. सविंदाकार द्धारा बनाये जा रहे यॉं बनाये गये बारबड़ वायर का निरीक्षण निगम के अधिकारियों/ कर्मचारियों तथा सम्बन्धित विभाग व एजैंसी के प्रतिनिधि किसी भी समय कर सकते हैं ।
9. यदि संविदाकार कार्य पूर्ण नहीं करेगा तो वह किसी भी प्रकार की राशि लेने का कानूनी हकदार नहीं होगा ।

महाप्रबन्धक,
हरियाणा वन विकास निगम,
कुरुक्षेत्र ।